राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार–2018

फॉर्म अहकाम
(नियम 15)

जज अदालत उपखण्डाधिकारी मुकाम राजाखेड़ा कैम्प नागर

सौदान सिंह बनाम प्रमोद वगैरा

किस्म मुकदमा दावा नं. सन्

राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार–2018

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये |
|---|---|---|
| 14/5/18 | आज यह पक्षावली राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार कैम्प नागर में पेश हुई। पक्षावली का अवलोकन किया पक्षकारों को सुना गया। इस प्रकरण में धारा 188 RTAC के तहत प्रतिवादी सं 1 व 2 प्रमोद उर्फ केवल सिंह एवं श्रीमती पत्नी अर्जुनसिंह पार्टी ऑफ सिविल विवादीगण गागट को पार्टिशन स्यार विभाजन के पारूप करने के लिए पेश किया गया है। कि वे विवादित खातोनी क्र. 568 रकबा 10 बिघा, 569 रकबा 15 बिघा, 570 रकबा 17 बिघा 1 स्कीट शाप सौगली में वादीगण के कब्जा काश्तकारी यथा पेश न करे, राहकाम नहीं करे एवं डिमिकार्ड न करे एवं मौके पर स्थिति बनाये रखे।<br><br>इसके पश्चात पक्षावली का अवलोकन किया एवं पक्षकारान को सुना, उक्त विवादित वादीगण विवादित आराजी के 2 बीघा जमीन जहां पर आज दिनांक को मौके पर स्थिति बनी हुई है तब प्रतिवादी सं 1 व 2 का विवादित आराजी से कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं होना पाया गया है। इसलिए इस प्रतिवादी सं: 1 व 2 का पारूप वाद के कोई उपयुक्त नहीं समझते हैं।<br><br>अतः आदेश है कि यथा वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी सं. 1 व 2 डिक्री किया जाकर प्रतिवादी सं 1 व 2 को स्यार विभाजन से | |

राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार–2018

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये |
|---|---|---|

वे विवादित आराजी के 568/0-10, 569/0-15, 570/0-17 स्थिति ग्राम सोनकी पर वादीगण के पक्ष में कब्जा के कोई बाधा पैदा न करें, कोई अवरोध न बनायें नहीं करें निर्माण करें। मौके की अक्स स्थिति बनाये रहें। पत्रावली में डिक्री जारी किये जाने के पश्चात् फैसलानुसार इकरार वाद तकमील/तामिल इत्तर दे। हुक्म सुनाया गया

(इशरत अली)
उपखण्ड अधिकारी
राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार–2018